प्रेस विज्ञप्ति

 गरियाबंद पुलिस द्वारा इण्ड टू इण्ड विवेचना करते हुए 04 किलो गांजा के साथ दो अंतर्राज्यीय तस्कर को किया गिरफ्तार।

 महिला आरोपी उड़ीसा से गांजा लेकर आरोपी अश्वनी को बेचकर (उत्तर प्रदेश) तक खपाती थी गांजा ।

विवरण- वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अवैध गांजा, शराब, जुआ सट्टा पर कडी कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश दिए थे जिसके परिपालन में थाना प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर हुर्रा को मुखबीर से सूचना मिला कि दो व्यक्ति ग्राम धवलपुर चौक नेशनल हाईवे 130 सी के पास अपने अपने बैग में अवैध मादक पदार्थ रखकर ग्राहक का इंतजार करते खड़े हैं कि सूचना तस्दीक पर पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पहुच कर मुखबीर हुआ और साथ में रखें थैला से पहचान कर संदेहियों से नाम पता पुछने अपना नाम प्रेमंजली निवासी बजाड़ी देवभोग तथा दूसरा अश्वनी कुमार राज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश रहने वाला बताया दोनों के थैले से दो-दो किलो कुल 04 किलो ग्राम गांजा कीमती को समक्ष गवाहो के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।

इण्ड टू इण्ड विवेचना के दौरान जानकारी प्राप्त हुआ कि महिला आरोपी प्रेमांजलि निवासी बजाड़ी देवभोग बेकवर्ड लिंक थी जो उड़ीसा से गांजा लेकर आरोपी अश्वनी कुमार हाल निवासी खरोरा जिला रायपुर को सप्लाई करती थी। फारवर्ड लिंक आरोपी अश्वनी कुमार द्वारा गांजा को लेकर (उत्तर प्रदेश) के विभिन्न स्थानों में सप्लाई करता था। उक्त आरोपियन का कृत्य अपराध धारा सदर 20 (ख) NDPS Act का पाये से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक शिव शंकर हुर्रा, सउनि नकुल सिंह सिदार एवं अन्य पुलिस कर्मियों की विशेष भूमिका रही।

❄ नाम आरोपी-

बेकवर्ड लिंक (1) प्रेमांजली पति समीर सोनी उम्र 30 साल निवासी बजाड़ी थाना देवभोग जिला गरियाबंद ।

फारवर्ड लिंक (02) अश्वनी कुमार राज पिता राजेंद्र राज उम्र 24 साल निवासी कुड़ी थाना राजगढ़ जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) हाल वार्ड क्रम -08 खरोरा थाना खरोरा जिला रायपुर

✳ जप्त सामग्री
04 किलोग्राम गांजा कीमती 40,000 रुपए 01 मोबाइल कीमती 5000 कुल जुमला 45,000 रुपए

// **प्रेस विज्ञप्ति** //

- **गरियाबंद पुलिस द्वारा इण्ड टु इण्ड कार्यवाही करते हुए दो माह के भीतर अलग-अलग 04 प्रकरणों में कुल 145 किलो ग्राम गांजा जप्त कर 12 आरोपियो को भेजा गया जेल ।**

- **बेकवड लिंक एवं फारवर्ड लिंक से जुडे आरोपियों के लॉकेशन एसीडीआर. का ऐनालिसिस कर आरोपियों का धरपकड़ की कार्यवाही किया गया ।**

- **अंतर्राज्यीय, अंतरजिला एवं लोकल डिस्ट्रीबियुटर की जुडे तार का किया गया खुलाश।**

विवरण :- पुलिस मुख्यालय रायपुर के दिशा-निर्देश पर गरियाबंद पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिला स्तर पर इण्ड टु इण्ड कार्यवाही हेतु एएनटीएफ टीम गठित किया गया। दिनांक 07.11.2024 **थाना छुरा के अपराध क्रमांक** 204/24, **के प्रकरण मे** 18 **किलो ग्राम गांजा, दिनांक** 04.12.2024 **थाना राजिम के अपराध क्रमांक** 394/24 **के प्रकरण में** 13 **किलो ग्राम, दिनांक** 09.12.2024 **थाना राजिम के अपराध क्रमांक** 399/24 **के प्रकरण में** 92 **किलो ग्राम गांजा, दिनांक** 09.01.2025 **थाना फिंगेश्वर के अपराध क्रमांक** 12/2025 **धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल** 145 **किलो ग्राम किमती 15 लाख रूपये के साथ 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। प्रकरण में विवेचना के दौरान पुछताछ करने पर बताया कि 0**1) **संतोष सोनार 02) विशेषर सिंह** 03) **शेखर पुटेल (बालांगीर उड़िसा) बेकवड लिंक है जो लोकल डिस्टीबियुटर 0**1) **योगेश साहू (अभनपुर)** 02) **तारकेश्वर विश्वकार्मा (अभनपुर) के द्वारा इंटर डीस्टिक 01) गेवन्द्र साहू 02) विधिसंघर्षरत बालक (दुर्ग) के माध्यम से फावर्ड लिंक 01) पलाश पाटिल 01) अनिकेत शिंदे (नागपुर, भंडारा महाराष्ट्र) को गांजा खपाते थे। उपरोक्त तीन प्रकरण के आरोपियों के पुछताछ करने पर फावर्ड लिंक मुख्य आरोपी पलाश पाटिल एवं अनिकेत शिंद का नाम आया जिसके मोबाइल नंबर का लोकेशन एवं कॉल डिटेल का अवलोकन करने पर उक्त आरोपियों का उडिसा होते हुए गरियाबंद आने का पता चलने पर थाना प्रभारी निरीक्षक पवन वर्मा के द्वारा ग्राम जोगी तलाब के पास अपने पुलिस टीम के साथ एम.सी.पी. लगाकर आरोपियों का इंतजार कर रहे थे जो दिनांक 09.01.2025 को एक सफेद रंग के स्विफ्ट डाइजर वाहन क्रं0 OD.02.एट 3166 को रोकर कार का तलाशी लेने पर कार के पीछे डिक्की में गांजा रखा होना पाया गया जिसके संबंध मे संदेहियों से पूछताछ करने व नाम पता पुछने पर वाहन चालक ने अपना नाम संतोष सुना जिला बालांगीर उड़ीसा व दूसरा व्यक्ति अपना नाम बिसेसर सिंग जिला बालांगीर उड़ीसा व तीसरा और चौथा व्यक्ति अपना नाम पलास उर्फ बंटी पाटिल जिला नागपुर महाराष्ट्र व अनिकेत शिंदे जिला भण्डारा महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जो वाहन के पीछे सफेद रंग प्लास्टिक के बोरी मे भूरा रंग के सेलो टेप से लिपटा हुआ 04 पैकेट में कुल 22 किलोग्राम किमती 07 लाख रूपये तथा सफेद रंग के स्विफ्ट डिजायर कार वाहन क्रं0 OD 02 AT 3166 किमती 05 लाख रूपये को समक्ष गवाहो के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त अरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर 20 B(ii)(C) NDPS Act का पाये से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर पुछताछ करने पर पुरी कहानी बताय।**

बेकवार्ड लिंक -

01) संतोष सोनार
02) विशेषर सिंह
03) देवराज पुटेल
04) शेखर पुटेल (निवासी) बालांगीर उड़िसा)

लोकल डिस्टिबियुटर -

01) योगेश साहू
02) तारकेश्वर विश्वकार्मा (अभनपुर, रायपुर)
03) समीर रजा (नयापारा राजिम)
04) शाकिर अली उर्फ पप्पु खान (फिंगेश्वर)